

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इतिहासिक जज

तारीख हुक्म

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी प्रमाणित
पत्रावली - 29 की 20/8/19 को पेश की गई।
20/8/19 को 20/8/19 को पेश की गई।
पत्रावली पेश करने के सम्बन्ध
में प्रार्थी पत्र पेश किया।
जो शक्ति प्रमाणित हो पत्रावली
वास्तव में प्रमाणित हो पत्रावली
दिनांक 20/8/19 को पेश हो।

नारेस कुमार
Maheer

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

20/8/19

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
आज भ्रमण पर होने से पत्रावली
दिनांक 28/8/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

28/8/19

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
आज भ्रमण पर होने से पत्रावली
दिनांक 3/9/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

29/9/19

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
आज भ्रमण पर होने से पत्रावली
दिनांक 30/9/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

30.9.19

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार
जयपुरा द्वारा RL R AC 1956 की धारा 131, 136
के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन
किया कि ग्राम सिवली नौसीरा के मूल स्वयं
नं. 95 पूर्व में सरकारी भूमि थी जो अलग-अलग
व्यक्तियों की प्राप्ति हुई। वर्तमान में
परिशिष्ट "अ" अनुसार 23 बट्टा नम्बर हैं।
जिसमें से क्रम सं. 6, 7, 8 की तरमीम की हुई है।
शेष तरमीम नहीं की हुई है। उर्वरि द्वारा
निवेदन किया कि की गई तरमीम द्वारा अनुसार
नहीं की हुई है।

जता उसे निरस्त कर परिशिष्ट 'ब' में लाल रचाही से दिनांक अनुसार समस्त स्वसराज की तस्मीम करने का आदेश देने का निवेदन किया।

विपार्शगणों को जेटिस जारी किए गए। विपार्श सं. 27 द्वारा आपत्ति पेश की गई।

जार्जी के जर्जना पत्र पर मन्व किया गया। जार्जी द्वारा RLR ACT 1956 की धारा 131, 136 के तहत पेश कर जस्ताव अनुसार तस्मीम करने के आदेश देने का निवेदन किया है। धारा 136 शजस्व रेकॉर्ड में हुई किसी अशुहि को शुद्ध करने के लिए है। अता जस्तुत धारा में जस्तुत जार्जी का जर्जना पत्र स्वरिज किया जात है।

पत्रानली जैसत शुमार होकर दारिजल दफ्तर है।

आदेश आन डिनॉ 30.5.19 को रजुले व्यापलय में हुनापा गया है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) जालोतरा